ताकडाउन हटा है,
दव कोविड अनुरूप
सजग रहें, सतर्क रहें।
. हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

'हर कोने तक शिक्षा पहुंचाना शिक्षा नीति का उद्देश्य।'
_____ डा. रमेश पोखरि

नई दिल्ली। शनिवार • 12 दिसम्बर • 2020 राष्ट्रीय सहारा www.ra

मैसर्स मरग्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड–परिसमापन में की आस्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

(CIN-U36999DL1979PLC009497)
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत बिक्री)
कॉरपोरेट देनदार की आस्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है

लॉट नं.	कॉरपोरेट देनदार अर्थात मैसर्स मरग्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आस्तियों का विवरण	स्थान	आरक्षित मूल्य (रु. करोड़ में)	जमा धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) (रु. करोड़ में)
1	कॉरपोरेट देनदार की बिक्री चलते हुए व्यापार की तरह	प्लॉट नं. डी–1, ब्लॉक डी, सैक्टर–11, नोएडा, जिला – गौतम बुद्ध नगर, यू.पी में स्थित	16.20	1.62

नोटः जीएसटी और अन्य कर अतिरिक्त के रूप में लागू
उपरोक्त बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसे वेबसाइट "ncltauction.auctiontiger.net / www.arck.in" पर अपलोड किया गया है। कृपया विवरण हेतु इसे देखें
आवेदन करने की अंतिम तिथि ईएमडी सहित : 29 दिसम्बर, 2020 को अपरांह 5 बजे तक,
ई–नीलामी की तिथि : 31 दिसम्बर, 2020
विवरण हेतु वेबसाइट www.arck.in; https://ncltauction.auctiontiger.net देखें
सम्पर्क : श्री हिमांशु गुप्ता – 9582147864, 011-45101111
पत्राचार ई–मेल : insolvency@arck.in

श्री परमजीत सिंह भाटिया
परिसमापक मैसर्स मरग्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
IBBI रजि. नंबर : IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-18/11582
पताः सी–39, सूर्या नगर, गाजियाबाद, यू.पी.–201011
ऑफिस पताः 409, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001.

तिथिः 12.12.2020
स्थानः नई दिल्ली

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

ई–निविदा (ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम) के माध्यम से निविदा आमंत्रण

1	कार्य का नाम (स्थान के साथ)	वरिष्ठ मंडल अभियंता/कार्य के तहत दिल्ली सराय रोहिल्ला में अतिरिक्त 6.10 मीटर चौड़ा एफओबी कनेक्टिंग प्लेटफार्म नंबर 1 से 2/3 और प्लेटफार्म 4/5 का निर्माण का कार्य।
2	Approx. Cost of Work (रुपये)	Rs. 20600592/-
3	Earnest Money	(यह नेट बैंकिंग के रूप में होना चाहिए या केवल भुगतान गेटवे द्वारा ।) (नोटः– रेलवे बोर्डों के पत्र संख्या 2015/सीई–आई/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार जो टेंडर आईआरईपीएस पर आमंत्रित किया गया है उसमें एफडीआर को निविदा के लिए, ईएमडी के रूप में, स्वीकार नहीं किया जाएगा. ।)
4	अग्रिम धन (रुपये)	Rs. 253000/-
5	नगदी पर निविदा लागत (रुपये)	(यह नेट बैंकिंग के रूप में होना चाहिए या केवल भुगतान गेटवे द्वारा ।) (नोटः– रेलवे बोर्डों के पत्र संख्या 2015/सीई–आई/सीटी/5/1 दिनांक 31.08.2016 के अनुसार जो टेंडर आईआरईपीएस पर आमंत्रित किया गया है उसमें एफडीआर को निविदा के लिए, ईएमडी के

...नियन आर्फ इंडिया ...मिल्लिया इस्लामिया के ... लेने का विरोध करते ...स को रद्द करने की मांग

...एनएसयूआई के राष्ट्रीय ... लोकेश चुघ ने कहा है ...कोरोना काल के कारण ...में बढ़ी बेरोज़गारी एवं ...ती अर्थव्यवस्था के ... लोगों को घर चलाना ...ल हो रहा है। ऐसे में ...या प्रशासन द्वारा छात्रों को ...न ऑनलाइन परीक्षा देने ...लिए उनसे लैपटाप एवं ...यड मोबाइल फोन का ...कहना बेहद ही निंदनीय है। ...शासन से अनुरोध करती है ...रीक्षा के इस फरमान को ...कि वर्तमान समय में देश के ...ी नेटवर्क चलता है। इसके ...क्षा छात्रों के भविष्य के साथ

हाईकोर्ट ने ठुकराई

नई दिल्ली (एसएनबी)। हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के नेता मौलाना साद के खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच को पुलिस से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को ठुकरा दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह के पीठ ने कहा कि इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। जब सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है, ऐसे में इसे यहां लंबित नही रखी जा सकती है। इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने उसकी अनुमति दे दी और उसे निरस्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मार्च में बढते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने को लेकर बडी सभा नही करने के निर्देश के बावजूद मरकज में सम्मेलन आयोजित करने के आरोप में साद पर मामला दर्ज किया गया था। मुंबई के वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर एनआईए को समयबद्ध तरीके से मामले की जांच करने और उसकी निगरानी हाईकोर्ट द्वारा करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस काफी समय गंवाने के बावजूद तब्लीगी नेता को गिरफ्तार करने में विफल रही है। इसलिए इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दिया जाए।

नई दिल्ली (एसएनबी)। शहरी ... नार्थ एमसीडी द्वारा 2400 करोड़ रु... कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ... जांच करने का आदेश दिया गया है।

इस विषय पर शुक्रवार ... संवाददाता सम्मेलन में सत्येंद्र जैन ने ... दिल्ली एमसीडी ने अपने पैसे का ... नहीं किया है।

जैन ने कहा कि नॉर्थ दिल्ल... कि पहले से ही खुद को आर्थिक तं... है और अपने डॉक्टर, नर्स और स्... समय पर देने में असमर्थ है, वह 2... पए जैसी बड़ी राशि का दुरुपयोग कै... है ? उन्होंने बताया कि मुझे खुद ... जानकारी अखबार के जरिए मि... एमसीडी ने इस रकम का गलत इस्ते... और इसका उनके पास कोई हि... उन्होंने कहा कि मैंने इस बात की ... लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अ... को आदेश दिया है। शहरी विकास ... कि हम समय से पहले ही अपने ... उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के ... है, बल्कि दिल्ली सरकार को ही ... हमने उन्हें लोन के रूप में दिए थे।

तीनों महापौर बोले, धरना स्थल से चलाएं...

...ई दिल्ली (एसएनबी)। उत्तरी दिल्ली के ...महापौर जयप्रकाश, दक्षिणी दिल्ली के महापौर ...अनामिका मिथिलेश व पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल ...जैन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली के तीनों महापौर सोमवार से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना स्थल से अपना कार्यालय चलाएंगे।

उत्तरी दिल्ली के महापौर ने कहा कि दिल्ली के ... सरकार द्वारा फंड जारी नहीं करने के कारण दिल्ली के सारे विकास कार्य रुक गए हैं व कर्मचारियों को वेतन देने में काफी समस्या आ रही है।

कई संस्थाओं का समर्थन : निगमों के बकाये की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे महापौरों व भाजपा नेताओं के धरने को कई संस्थाओ ने अपना समर्थन दिया है। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर ने बताया कि धरने को ऑल ...

एलजी से ... फंड जारी...

नई दिल्ली (एसएन... और नेता प्रतिपक्ष राम... बैजल से मुलाकात क... मांग की। भाजपा नेता...